

ORIGINAL

भवन स्थान की स्वीकृति से नू-स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा

भवन स्थान का संख्या - 13/2010-11

कारखाने नगरपालिका अधिनियम की धारा-100 के अन्तर्गत भवन स्थान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जा सकती है।

1. भवनों की स्वीकृति को वर्षों के लिए रोक रहेगी। उसके उषरतन अनुपात का पुनर्मान्यन करना अनिवार्य होगा।
2. सड़क विस्तार हेतु छोड़ी गई भूमि पट्टी को छोड़कर ही वहनदीताओं का निर्माण करना होगा।
3. स्वीकृत नदतों से विचलन मान्य नहीं होगा।
4. भवन स्थान की स्वीकृति के परवाद यदि यह पाया जाता है कि आवरण के बलत माली से स्वीकृति प्राप्त की है तो नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत भवन स्थान की स्वीकृति रद्द दी जायेगी
5. अन्य कर्तव्य -

07.0.12

कार्यपालक यदाधिकारी
नगर पर्यट, लोहरदया

07.0.12

कार्यपालक यदाधिकारी
नगर पर्यट, लोहरदया
07/06